Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2018/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 9, 2018 (BHADRA 18, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th September, 2018

No. 35-HLA of 2018/65/19541.— The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 35 HLA of 2018

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018.

Short title

2. In section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act),-

Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Save as provided in sub-section (3), all seats in the Corporation including a Mayor shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the Municipal area and for this purpose the Municipal area shall by a notification issued in this behalf be divided into territorial constituencies to be known as wards.";

(ii) in the second proviso to sub-section (3), the word and sign "Mayor," occurring twice shall be omitted; and

(iii) in the proviso to sub-section (4), for the words "three years and three months", the words "four years" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008.

Substitution of section 7 of Haryana Act 16 of 1994.

3. For section 7 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"7. Qualifications for Mayor and members. **-** A person shall not be qualified to be chosen as a Mayor or member unless,-

(a) he has attained twenty-one years of age; and

(b) his name is registered as an elector in the electoral roll of a ward in the Municipal area.".

Amendment of section 8 of Haryana Act 16 of 1994.

4. In section 8 of the principal Act,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Disqualifications of Mayor and members.";

(ii) in sub-section (1), for the words "for being a member", the words "for being a Mayor or member" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2),-

(a) for the words "for being a member", the words "for being a Mayor or member" shall be substituted;

(b) for the second proviso to clause (r), the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of a woman candidate belonging to Scheduled Caste, the minimum qualification for members excluding Mayor shall be 5th pass.";

(iv) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) If a person sits or votes as a Mayor or member of the Corporation where he is not qualified or that he is disqualified for the post of Mayor or membership, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to penalty of five hundred rupees to be recovered as an arrear of tax under this Act.";

(v) in sub-section (5), for the words "as to whether a member", the words "as to whether a Mayor or member" shall be substituted.

Substitution of section 8A of Haryana Act 16 of 1994.

5. For section 8A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"8A. Restriction on simultaneous or double membership.**-** (1) No person shall be a Mayor or member of the Corporation, member of Legislative Assembly of the State or member of Parliament simultaneously.

(2) In case a Mayor or member of the Corporation is elected to the Legislative Assembly or Parliament, he shall cease to continue as a Mayor or member of the Corporation from the date he is declared as elected to the Legislative Assembly or Parliament, as the case may be.".

Amendment of section 14 of Haryana Act 16 of 1994.

6. In sub-section (1) of section 14 of the principal Act, for the words "the names of elected members", the words "the name of Mayor and members" shall be substituted.

Amendment of section 15 of Haryana Act 16 of 1994.

7. In sub-section (1) of section 15 of the principal Act, for the words "no election of a member", the words "no election of a Mayor or member" shall be substituted.

Amendment of section 17 of Haryana Act 16 of 1994.

8. In clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the principal Act, for the words "to be chosen as a member", the words "to be chosen as a Mayor or member" shall be substituted.

Amendment of section 21 of Haryana Act 16 of 1994.

9. In sub-section (2) of section 21 of the principal Act, for the words "election of member", the words "election of a Mayor or member" shall be substituted.

10. In section 32 of the principal Act,- Amendment of section 32 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Power to make rules regulating the election of Mayor and members."; and

(ii) in sub-section (1), for the words "holding election of members", the words "holding election of Mayor and members" shall be substituted.

11. For section 33 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 33 of Haryana Act 16 of 1994.

"33.Oath of affirmation by Mayor or member.- (1) Every elected Mayor or member shall, before taking his seat, make and subscribe at a meeting of the Corporation, an oath or affirmation according to the following form, namely :-

'I ______________________________ having been elected as a Mayor or member of the Municipal Corporation of __________________________ do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.'.

(2) If a person sits or votes as a Mayor or member before he complied with the requirements of sub-section (1), he shall be liable in respect of each day on which he so sits or voted to a penalty of five hundred rupees to be recovered as an arrear of tax under this Act, and his vote shall be considered invalid.".

12. For section 34 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 34 of Haryana Act 16 of 1994.

"34. Removal of and resignation by Mayor or member.- (1) The Government may, by notification remove Mayor or member, if in its opinion -

(a) he becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 8; or

(b) he has flagrantly abused his position as a Mayor or member or has through negligence or misconduct been responsible for the loss or misapplication of any money or property of the Corporation ; or

(c) he has become physically or mentally incapacitated for performing his duties as a Mayor or member ; or

(d) he absents himself during three successive months from the meetings of the Corporation ; or

(e) he acts in contravention of the provisions of section 60; or

(f) he has, since his election or nomination, become subject to any disqualification which, if it had existed at the time of his election or nomination, would have rendered him ineligible under any law for the time being in force regulating the qualifications of candidate for election or nomination:

Provided that before making an order under this section, reasonable opportunity of being heard and to show cause against such an order shall be given to the Mayor or member, as the case may be.

(2) If a Mayor or member resigns his seat by writing under his hand addressed to the Commissioner, he shall cease to be a Mayor or member on the date of acceptance of his resignation and his office shall thereupon fall vacant.

13. In section 34-A of the principal Act,- Amendment of section 34-A of Haryana Act 16 of 1994.

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Suspension of Mayor or member.";

(ii) in sub-section (1), for the words "suspend any member", the words "suspend a Mayor or member" shall be substituted;

(iii) in sub-section (2),–

(a) for the words "Any member", the words "A Mayor or any member" shall be substituted; and

(b) for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that the suspension period of a Mayor or member shall not exceed six months from the date of issuance of suspension order except in criminal cases involving moral turpitude:

Provided further that if the Mayor is suspended or removed or resigned from the post under the Act, the officiating charge of the seat of Mayor shall be given to the elected member of the same category having maximum number of members in his favour until the predecessor of Mayor is elected or the existing Mayor is reinstated:

Provided further that if there is only one member from the category for which seat of Mayor is reserved, no question of maximum number of members in his favour shall arise:

Provided further that when the Mayor is absent from duty on account of illness or other cause, the senior Deputy Mayor and in his absence the Deputy Mayor shall act as Mayor.".

Substitution of section 34-B of Haryana Act 16 of 1994.

14. For section 34-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"34-B. Removal of Mayor or member having any disqualification at time of election. – The State Election Commission may, after such enquiry, as it may deem fit and after giving an opportunity of being heard, by order, remove a Mayor or member, if he was having any disqualification mentioned in section 8 at the time of his election. The office of the Mayor or member so disqualified shall become vacant immediately.".

Substitution of section 34-C of Haryana Act 16 of 1994.

15. For section 34-C of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"34-C. Removal of an elected Mayor or member who fails to lodge election expenditure statement. – If an elected Mayor or member fails to follow the provisions of sections 8E or 8G, he shall be removed by the State Election Commission after giving him an opportunity of being heard. The office of the Mayor or member so disqualified shall become vacant immediately.".

Amendment of section 34-D of Haryana Act 16 of 1994.

16. In section 34-D of the principal Act, for the words "A member", the words "A Mayor or member" shall be substituted.

Amendment of section 36 of Haryana Act 16 of 1994.

17. In section 36 of the principal Act,-

(i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Election of Senior Deputy Mayor, Deputy Mayor and their term of office."; and

(ii) sub-sections (1), (3) and (4) shall be omitted.

Insertion of section 36-A in Haryana Act 16 of 1994.

18. After section 36 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"36-A. Facilities and powers of Mayor.- (1) The Mayor shall be entitled to payment of such honorarium and may be given such facilities in respect of residential accommodation, telephone, conveyance and the like, as may be prescribed.

(2) The Mayor shall have access to the record of the Corporation and may issue directions to the Commissioner or call for reports from him with a view to ensure proper implementation of the decision of the Corporation.".

Amendment of section 37 of Haryana Act 16 of 1994.

19. In section 37 of the principal Act, the words "Mayor" and "Mayor or", wherever occurring shall be omitted.

20. In section 37A of the principal Act,– Amendment of section 37A of Haryana Act 16 of 1994.

(i) in the marginal heading, the word "Mayor" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), the word "Mayor" shall be omitted;

(iii) in sub-section (2),-

(a) the word "Mayor" shall be omitted;

(b) clause (i) shall be omitted;

(c) in clause (iii), the word "Mayor" shall be omitted;

(iv) in the proviso, the words "Mayor" shall be omitted.

21. Section 38 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 38 of Haryana Act 16 of 1994.

22. In section 39 of the principal Act,– Amendment of section 39 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) in the marginal heading, the word "Mayor" shall be omitted; and

(ii) sub-section (1) shall be omitted.

23. For sub-section (1) of section 346 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:– Amendment of section 346 of Haryana Act 16 of 1994.

"(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953), the Director may, with the prior approval of the Government, by notification in the Official Gazette, declare any area within the Municipal area to be controlled area. In case any area within the Municipal area has already been declared as controlled area under the above said Acts, then it shall deemed to be controlled area for the purpose of this Act, and if any plan has already been notified for such controlled area under the aforesaid Acts then it shall deemed to be the plan for the purposes of this Act:

Provided that the limits of local area exempted under section 15 of the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) from the purview of the said Act, which were earlier notified as controlled area and development plan was prepared, shall deemed to be controlled area and plan for the purposes of this Act.".

24. For section 350D of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 350D of Haryana Act 16 of 1994.

"350 D. Effect of other laws.– The acts already done under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953), within the Municipal area shall be deemed to have been validly done under this Act.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. State Election Commissioner, Haryana vide their D.O. letter dated 31.05.2017 intimated that under Article 243ZA (1) of the Constitution of India and Section 9(1) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, it has been provided that the Superintendents, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Municipalities shall be vested in the State Election Commission, whereas the elections of the Mayor in the Municipal Corporations are being conducted by the Government which are contrary to the provisions of the Constitution of India and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.
2. Further, it has also been intimated that in view of the provisions available in the Constitution of India and Acts of the relevant States, the States like Madhya Pradesh, Uttrakhand, U.P., Chattisgarh and Jharkhand conducts the elections of the Chairpersons like Mayor of the Municipal Corporations, directly by the eligible voters. To make the democracy stronger at grass root level, the State Election Commission has recommended that the elections of the seats of Mayor in the Municipal Corporations should be conducted directly by the eligible voters under the supervision, direction and control of the State Election Commission.
3. At present, there are 10 Municipal Corporations in the State of Haryana which have been constituted from time to time as per population criteria of three lakh and above. Elections of five Corporations namely Rohtak, Hissar, Panipat, Karnal and Yamuna Nagar are to be conducted very shortly. Therefore, keeping in view of the recommendation of State Election Commission, it is proposed that the matter may be considered to conduct the elections of Mayor of Municipal Corporations in the State of Haryana directrly by the eligible voters under the supervision, direction and control of the State Election Commission for which necessary amendment may be made in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.
4. Local Bodies are required to be made self-reiant and strengthened in the democratic era, for which Government had constituted Municipal Corporation, Sonepat vide its notification no. 18/82/2015-3C1, dated 06.07.2015. Elections to the newly constituted Municipal Corporation, Sonepat are required to be held within a period for "three years and three months", as per the provisons contained in sub-section 4 of Section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, which was enforeced w.e.f. 10.10.2008.
5. As per above said proviso, election to the newly constituted Municipal Corporation, sonepat are required to be conducted by 06.10.2018 but on the demands of inhabitants of such area, some alterations have been made in the limits of this Corporation, due to which wardbandi process of this Corporation has to be started afresh. After that for conducting the elections of this Corporation, publication of electoral rolls has also to be done by the State Election Commission, Haryana, due to the reasons it will not be possible to conduct the elections of this Corporation before 06.10.2018.
6. Therefore, State Election Commission, Haryana requires more time for conducting the elections, for which an amendment is proposed in the sub-section-4 of Section-4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. As per the proposed amendment, election to the newly constituted Municipal Corporation shall be held within a period of "four years" instead of "three years and three months" from their constitution.
7. The Punjab New Capital (periphery) Control Act, 1952 was notified to Control and Regulate the Periphery of the New Capital of the State of Punjab. This Act was earlier administered by Town and Country Planning Department for the Haryana Portion of the Periphery Controlled Area. The said Department also prepared Development Plans for various Urbanizable zones falling in Periphery areas i.e interim master plan of Panchkula, extension of Development Plan, Panchkula, Development Plan of Shri Mata Mansa Devi Urban Complex, Development Plan of Kalka- Pinjore Urban Complex 2025 AD.
8. As per the provision of Section 15, the said Act is not applicable in the limits of local authority. The relevant provision is reproduce as under:

   Section 15. Nothing in this Act shall apply to-
   "(e) any area falling within the limits of the local authority, which the State Government may notify."
9. At Present, most of the periphery control area falling in the State of Haryana falls within the limits of Municipal Corporation, Panchkula, hence, the Town & Country Planning Department is not able to regulate the construction within the periphery control area.
10. It is, further, submitted that as per the orders passed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court on 23.8.2012 in the Civil Writ Petition No. 17048 of 2007 titled as Rajat Kuchhal Vs. State of Haryana and others, all the powers and functions in respect of the Controlled Areas falling within Municipal Limits are being exercised by the Urban Local Bodies Department. Hence, necessary amendments have been carried out in the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 so that the various controlled Areas in the state declared by the Town & Country Planning Department under the provisions of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restrictions of Un-regulated Development Act, 1963 in respect of the area falling within

Municipal Corporation Limits are deemed to be the Controlled Areas under the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. In view of the above said judgment of the Punjab and Haryana High Court the Town & Country Planning Department is not able to exercise the powers within the Periphery Controlled Area falling within the limits of Municipal Corporation, Panchkula.

11. The similar amendment is proposed in Section 346 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 so that the controlled areas declared under the Punjab New Capital (periphery) Control Act, 1952 may also be implemented by the Urban Local Bodies Department. After, this amendment, the Urban Local Bodies Department shall be able to regulate the Development in the Controlled Areas declared under Periphery Controlled Act as per the Development Plans published by the Town & Country Planning Department.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 9th September, 2018.

R.K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 35 एच.एल.ए.

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है ।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन ।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 में,–

(i) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2). उप–धारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाय, नगर निगम में महापौर सहित सभी स्थान नगर क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए नगर क्षेत्र इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा वार्डों के रूप में ज्ञात प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा।";

(ii) उप–धारा (3) के द्वितीय परन्तुक में, दो बार आने वाले "महापौर," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(iii) उप–धारा (4) के परन्तुक में, "तीन वर्ष तथा तीन मास" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 7 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"7. महापौर तथा सदस्यों की योग्यताएं.– कोई भी व्यक्ति महापौर या सदस्य के रूप में तब तक चुने जाने के योग्य नहीं होगा, जब तक,–

(क) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो; तथा

(ख) नगर क्षेत्र में उसका नाम वार्ड की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो।"।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"महापौर तथा सदस्यों की अयोग्यताएं।";

(ii) उप–धारा (1) में, "सदस्य के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "महापौर या सदस्य के रूप में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(iii) उप–धारा (2) में,–

(क) "सदस्य के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "महापौर या सदस्य के रूप में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खण्ड (द) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार की दशा में, महापौर को छोड़कर सदस्यों की न्यूनतम योग्यता पांचवी पास होगी ।";

(iv) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(4) यदि कोई व्यक्ति निगम के महापौर या सदस्य के रूप में प्रतिनिधिया मतदाता है, जहां वह अर्हित नहीं है या महापौर के पद अथवा सदस्यता के लिए निरर्हित है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली पांच सौ रूपये की शास्ति के लिए प्रत्येक दिन, जिसको वह इस प्रकार प्रतिनिधि या मतदाता बना है, के सम्बन्ध में दायी होगा।'';

(v) उप–धारा (5) में, ''कोई सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर या कोई सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 8क का प्रतिस्थापन।

''8क. समसामयिक अथवा दोहरी सदस्यता पर निर्बन्धन.– (1) कोई भी व्यक्ति राज्य विधान सभा सदस्य अथवा संसद सदस्य के साथ–साथ निगम का महापौर या सदस्य नहीं होगा ।

(2) यदि निगम का कोई महापौर या सदस्य, विधान सभा अथवा संसद के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो वह तिथि जिसको वह विधान सभा या संसद, जैसी भी स्थिति हो, के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है, से निगम के महापौर या सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (1) में, ''निर्वाचित सदस्यों के नाम'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्वाचित महापौर और सदस्यों के नाम'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 14 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) में, ''किसी सदस्य का चुनाव'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर या किसी सदस्य का चुनाव'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 15 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में, ''सदस्य के रूप में'' शब्दों के स्थान पर, 'महापौर या सदस्य के रूप में'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (2) में, ''किसी सदस्य का चुनाव'' शब्दों के स्थान पर, '' महापौर या किसी सदस्य का चुनाव'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 21 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 में,– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 32 का संशोधन।

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''महापौर तथा सदस्यों के चुनाव को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।''; तथा

(ii) उप–धारा (1) में, ''सदस्यों के चुनाव कराने'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर तथा सदस्यों के चुनाव कराने'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 33 का प्रतिस्थापन।

''33. महापौर या सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.– (1) प्रत्येक निर्वाचित महापौर या सदस्य अपना स्थान लेने से पूर्व, निगम के अधिवेशन में निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:–

''मैं ——————————————————————————नगर निगम के महापौर या सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ/हुई/हूं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता/लेती हूं कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला/वाली हूं उसके कर्त्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा/करूंगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) की अपेक्षाओं को पूरा करने से पूर्व महापौर या सदस्य के रूप में बैठता है अथवा मत डालता है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको वह इस प्रकार बैठता है अथवा मत डालता है, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली पांच सौ रूपये की शास्ति का दायी होगा और इसका मत अविधिमान्य समझा जाएगा ।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 34 का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''34. महापौर या सदस्य का हटाया जाना तथा उस द्वारा त्याग पत्र.— (1) सरकार अधिसूचना द्वारा महापौर या किसी भी सदस्य को हटा सकती है, यदि उसकी राय में:—

(क) वह धारा 8 में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी से ग्रस्त हो जाता है; अथवा

(ख) उसने महापौर या सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का घोर दुरूपयोग किया है अथवा उपेक्षा अथवा कदाचार द्वारा निगम के किसी धन अथवा सम्पति की हानि अथवा दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी रहता है; अथवा

(ग) वह महापौर या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है; अथवा

(घ) वह निगम के अधिवेशन से लगातार तीन मास के दौरान स्वयं अनुपस्थित रहता है; अथवा

(ङ.) वह धारा 60 के उपबन्धों या उल्लंघन में कार्य करता है; अथवा

(च) वह अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के पश्चात् किसी ऐसी निहर्रता के अधीन हो गया है जो, यदि उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन के समय विद्यमान रही हो, तो उसको निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए उम्मीदवारों की अर्हताओं को विनियमित करने वाली तत्समय लागू किसी विधि के अधीन अपात्र बना देती :

परन्तु इस धारा के अधीन आदेश करने से पूर्व, महापौर या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई तथा ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि कोई महापौर या सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा आयुक्त को सम्बोधित करते हुए अपने पद का त्याग करता है, तो उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से वह महापौर या सदस्य नहीं रहेगा और तत्पश्चात् उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 34क का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 34क में,—

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''महापौर या सदस्य का निलम्बन।'';

(ii) उप–धारा (1) में, ''किसी सदस्य को निलम्बित'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर या किसी सदस्य को निलम्बित'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप–धारा (2) में,—

(क) ''कोई सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर या कोई सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

परन्तु किसी महापौर या सदस्य की निलम्बन अवधि, नैतिक अधमता वाले आपराधिक मामलों को छोड़कर, निलम्बन आदेश जारी करने की तिथि से छह मास के अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि महापौर को इस अधिनियम के अधीन निलम्बित किया जाता है या हटाया जाता है या वह पद से त्यागपत्र देता है, तो महापौर के पद का स्थानापन्न प्रभार, जब तक महापौर का उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं किया जाता है या वर्तमान महापौर बहाल नहीं किया जाता है, उसी प्रवर्ग के निर्वाचित सदस्य को दिया जाएगा, जिसके पक्ष में अधिकतम सदस्य हैं:

परन्तु यह और कि यदि वहां उस प्रवर्ग जिसके लिए महापौर का पद आरक्षित है, से केवल एक सदस्य है, तो उसके पक्ष में अधिकतम सदस्यों की संख्या का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगाः

परन्तु यह और कि जब महापौर बीमारी के कारण या अन्य कारण से ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो वरिष्ठ उप–महापौर, और उसकी अनुपस्थिति में उप–महापौर, महापौर के रूप में कार्य करेगा ।''।

14. मूल अधिनियम की धारा 34–ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 34 ख का प्रतिस्थापन।

''34–ख. चुनाव के समय पर कोई अयोग्यता रखने वाले महापौर या सदस्य का हटाया जाना.– राज्य निर्वाचन आयोग, ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे या सुनवाई का अवसर करने के बाद, आदेश द्वारा किसी महापौर या सदस्य को हटा सकता है, यदि वह उसके चुनाव के समय पर धारा 8 में वर्णित कोई अयोग्यता रखता था । इस प्रकार अयोग्य महापौर या सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा ।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 34–ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 34 ग का प्रतिस्थापन।

''34–ग. निर्वाचित महापौर या सदस्य का हटाया जाना जो चुनाव खर्च विवरणी जमा करवाने में असफल रहता है.– यदि धारा 8ड. या 8च के उपबंधों की अनुपालना करने में कोई निर्वाचित महापौर या सदस्य असफल रहता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद हटाया जाएगा। इस प्रकार हटाए गए महापौर या सदस्य का पद तुरन्त रिक्त हो जाएगा ।''।

16. मूल अधिनियम की धारा 34–घ में, ''कोई सदस्य'' शब्दों के स्थान पर, ''महापौर या कोई सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 34 घ का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 36 में,– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 36 का संशोधन।

(i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''वरिष्ठ उप–महापौर, उप–महापौर का चुनाव और उनकी पदावधि।''; तथा

(ii) उप–धारा (1), (3) तथा (4) का लोप कर दिया जाएगा ।

18. मूल अधिनियम की धारा 36 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 36–क का रखा जाना।

''36–क. महापौर की सुविधाएं तथा शक्तियां.– (1) महापौर ऐसे मानदेय के भुगतान के लिए हकदार होगा और उसे आवासीय निवास, दूरभाष, वाहन के सम्बन्ध में तथा उसी प्रकार की ऐसी सुविधाएं, जो विहित की जाएं, दी जाएंगी।

(2) महापौर की निगम के अभिलेख तक पहुंच होगी तथा निगम के निर्णय के उचित लागूकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयुक्त को निर्देश जारी कर सकता है और उससे रिपोर्ट मांग सकता है।''।

19. मूल अधिनियम की धारा 37 में, ''महापौर,'' तथा ''महापौर अथवा'' शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आएं, का लोप कर दिया जाएगा। 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 37 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 37क में,– 1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 37क का संशोधन।

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''महापौर,'' शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–धारा (1) में, ''महापौर,'' शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(iii) उप–धारा (2) में,–

(क) ''महापौर,'' शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (i) का लोप कर दिया जाएगा;

(ग) खण्ड (iii) में, ''महापौर,'' शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(iv) परन्तुक में, ''महापौर,'' शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 38 का लोप।

21. मूल अधिनियम की धारा 38 का लोप कर दिया जाएगा।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 39 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 39 में,–

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''महापौर तथा'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) उप–धारा (1) का लोप कर दिया जाएगा।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 346 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 346 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निदेशक, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र को नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। यदि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई क्षेत्र उपरोक्त अधिनियमों के अधीन पहले से ही नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, तो इसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा, तथा यदि कोई योजना पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन ऐसे नियन्त्रित क्षेत्र के लिए पहले से ही अधिसूचित की गई है, तो यह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए योजना के रूप में समझी जाएगी:

परन्तु उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र से पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 15 के अधीन छूट–प्राप्त स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं, जो पूर्व में नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गई थी तथा विकास योजना तैयार की गई थी, को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र तथा योजना के रूप में समझी जाएंगी।''।

1994 का हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 350घ का प्रतिस्थापन।

24. मूल अधिनियम की धारा 350घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''350घ. अन्य विधियों का प्रभाव.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका क्षेत्र के भीतर पहले से किये गये कार्य इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य किये गये समझे जाएंगे।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा के अर्ध–सरकारी पत्र दिनांक 31.05.2017 द्वारा यह सूचित किया गया कि भारत के संविधान की धारा 243जैड.ए. (1) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9(1) में यह प्रावधान है कि पालिकाओं के सभी चुनाव राज्य चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में करवाये जायेंगे, जब कि नगर निगमों में मेयर के चुनाव सरकार द्वारा करवाये जा रहे हैं, जोकि भारत के संविधान तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विपरीत है।

2. आगे, यह भी सूचित किया गया है कि भारत के संविधान तथा सम्बन्धित राज्यों के अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों अनुसार मध्यप्रदेश, उतराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखण्ड राज्यों द्वारा नगर निगमों में मेयर आदि के चुनाव सीधे तौर पर योग्य मतदाताओं से करवाये जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश की गई है कि लोकतन्त्र की जड़ो को मजबूत करने के लिये नगर निगमों में मेयर की सीटों का चुनाव सीधे तौर पर योग्य उम्मीदवारों के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में करवाये जाने चाहियें।

3. वर्तमान में हरियाणा राज्य में 10 नगर निगम अस्तित्व में हैं जिनका गठन समय–समय पर तीन लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार किया गया हैं। पांच नगर निगमों नामतः रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल तथा यमुनानगर के चुनाव शीघ्र करवाये जाने हैं। इसलिये, प्रस्तावित है कि हरियाणा राज्य के नगर निगमों में मेयर के चुनाव सीधे तौर पर योग्य उम्मीदवारों के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में करवाने हेतु विचार किया जाये, जिसके लिये हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में आवश्यक संशोधन कर दिये जायें।

4. लोकतांत्रिक युग में स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर एवं सुदृढ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत सरकार की अधिसूचना संख्या 18/82/2015–3क1, दिनांक 06.07.2015 द्वारा नगर निगम, सोनीपत का गठन किया गया था। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–4 की उपधारा (4) में निहित व्यवस्था, जोकि दिनांक 10.10.2008 से लागू की गई थी, के अनुसार किसी भी नवगठित नगर निगम के चुनाव उसके गठन की तिथि से ''तीन वर्ष तथा तीन माह'' की अवधि के अन्दर करवाये जाने अनिवार्य है।

5. उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत, नवगठित नगर निगम, सोनीपत के चुनाव दिनांक 06.10.2018 तक करवाये जाने बनते हैं, परन्तु उस क्षेत्र के निवासियों की मांग पर, इस निगम की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिसके कारण इस नगर निगम की वार्डबन्दी की प्रक्रिया नये सिरे से आरम्भ करनी होगी। इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा इस नवगठित नगर निगम के चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मतदाता सूचियों का प्रकाशन करवाया जाना हैं, जिन कारणों से इस नगर निगम के चुनाव दिनांक 06.10.2018 से पूर्व करवाये जाने सम्भव नहीं है।

6. अतः राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा इस नवगठित नगर निगम के चुनाव करवाने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, जिसके लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा–4 की उप–धारा (4) के परन्तुक में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधन अनुसार नवगठित नगर निगमों के चुनाव उनके गठन की तिथि से **''तीन वर्ष तथा तीन माह''** के स्थान पर **''चार वर्ष''** की अवधि में करवाये जाने है।

7. पंजाब राज्य नई राजधानी की परिधि को नियंत्रित करने के लिए पंजाब नई राजधानी परिधि नियंत्रण अधिनियम, 1952 अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम हरियाणा प्रदेश के अन्दर आने वाले परिधि नियंत्रित क्षेत्र के संदर्भ में शहर और देश नियोजन विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इस विभाग ने परिधीय क्षेत्रों में पड़ने वाले विभिन्न शहरीकरण योग्य क्षेत्रों के लिए विकास योजना भी तैयार की है जैसे कि पंचकूला की अंतरिम मास्टर प्लॅान, पंचकूला विकास योजना का विस्तार, श्री माता मनसा देवी शहरी परिसर, कालका–पिंजौर शहरी कॉम्पलैक्स 2025 ए.डी.।

8. धारा 15 के प्रावधान के अनुसार यह अधिनियम स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं में लागू नहीं है। प्रासंगिक प्रावधान निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता हैः–

धारा 15. इस अधिनियम में कुछ भी इस पर लागू नहीं होताः–

(ई) स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं के अन्दर कोई भी क्षेत्र जो आता है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है।

9. वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ने वाले अधिकांश परिधीय नियंत्रण क्षेत्र नगरनिगम, पंचकूला की सीमाओं के भीतर आता है इसलिए शहर और नगर योजना विभाग परिधि नियंत्रण के भीतर निर्माण को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है।

10. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 23.08.2012 को सिविल रिट याचिका संख्या 17048 आफ 2007 रजत कुच्छल बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार नगर निगम की सीमाओं के भीतर आने वाले नियंत्रित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में आवश्यक संशोधन

किये गये हैं ताकि राज्य में नगर निगम सीमाओं में आने वाले क्षेत्र के ताकि राज्य में नगर निगम सीमाओं में आने वाले क्षेत्र के संबंध में पंजाब अनुसूचित सड़कों तथा नियंत्रित क्षेत्रों के अनियमित विकास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग द्वारा घोषित किए गए राज्य में विभिन्न क्षेत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अधीन नियंत्रित क्षेत्र समझे जाएगें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर नगर निगम, पंचकूला की सीमाओं के भीतर, परिधीय नियंत्रित क्षेत्र के संदर्भ में शहर और नगर नियोजन विभाग अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।

11. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 346 में इसी तरह के संशोधन का प्रस्ताव है ताकि पंजाब की नई परिधि नियंत्रण अधिनियम, 1952 के तहत घोषित नियंत्रित क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भी लागू किया जा सके। इस संशोधन के बाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास योजनाओं के अनुसार परिधीय नियंत्रण अधिनियम के तहत घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 सितम्बर, 2018.

आर.के. नांदल,
सचिव।